प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

पीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 861/2007

मनोज कुमार एवं अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

(संबद्ध आपील अपराध क्रमांक 862/2007; 864/2007; 865/2007; 866/2007; 867/2007 एवं 868/2007)

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ

सही-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ।

सही-

मुख्य न्यायाधीश

निर्णय हेतु नियत : 10/08/2009

सही-

सुनील कुमार सिन्हा

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

पीठ : **माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश**

दांडिक अपील क्रमांक 861 वर्ष 2007

अपीलार्थी

1. मनोज कुमार, पिता ब्रिजलाल, उम्र लगभग 22 वर्ष

2. शंकर निषाद, पिता देवीलाल निषाद, उम्र लगभग 27 वर्ष

3. देवीलाल, पिता कृष्णा, उम्र लगभग 47 वर्ष

4. देवचंद निषाद, पिता कृष्णा राम निषाद, उम्र लगभग 35 वर्ष

सभी निवासी ग्राम – पाताओड, थाना – कांकेर, जिला – कांकेर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यार्थी

छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी, पुलिस थाना – कांकेर, जिला – कांकेर (छ.ग.) के माध्यम से

दांडिक अपील क्रमांक 862 वर्ष 2007

अपीलार्थी

देव प्रसाद, पिता कृष्णा निषाद, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम – पाताओड, थाना – कांकेर, जिला – कांकेर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यार्थी

छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी, पुलिस थाना – कांकेर, जिला – कांकेर (छ.ग.)

दांडिक अपील क्रमांक 861/2007; 862/2007; 864/2007; 865/2007; 866/2007; 867/2007 एवं 868/2007

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील क्रमांक 864 वर्ष 2007

अपीलार्थी

जगेश्वर उर्फ जगे, पिता सूरजलाल, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम – पाताओड, थाना – कांकेर, जिला – कांकेर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यार्थी

छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी, पुलिस थाना – कांकेर, जिला – कांकेर (छ.ग.)

दांडिक अपील क्रमांक 865 वर्ष 2007

अपीलार्थी

बृजवती निषाद, पत्नी कीर्तन राम निषाद, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम – पाताओड, थाना – कांकेर, जिला – कांकेर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यार्थी

छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी, पुलिस थाना – कांकेर, जिला – कांकेर (छ.ग.)

दांडिक अपील क्रमांक 866 वर्ष 2007

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी

सूरजलाल, पिता स्वर्गीय कृष्णा निषाद, उम्र लगभग 56 वर्ष, निवासी ग्राम – पाताओड, थाना – कांकेर, जिला – कांकेर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यार्थी

छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी, पुलिस थाना – कांकेर, जिला – कांकेर (छ.ग.)

दांडिक अपील क्रमांक 861/2007; 862/2007; 864/2007; 865/2007; 866/2007; 867/2007 एवं 868/2007

दांडिक अपील क्रमांक 867 वर्ष 2007

अपीलार्थी — रणजीत निषाद, पिता कीर्तन राम निषाद, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी ग्राम – पाताओड, थाना – कांकेर, जिला – कांकेर (छ.ग

बनाम

प्रत्यार्थी — छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी, पुलिस थाना – कांकेर, जिला – कांकेर (छ.ग.)

<u>दांडिक अपील</u> क्रमांक 868 वर्ष 2007

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी — बृजलाल, पिता कृष्णा, उम्र लगभग 48 वर्ष, निवासी ग्राम – पाताओड, थाना – कांकेर, जिला – कांकेर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यार्थी — छत्तीसगढ़ राज्य, थाना प्रभारी, पुलिस थाना – कांकेर, जिला – कांकेर (छ.ग.)

<u>(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अंतर्गत अपीलें)</u>

उपस्थिति :

श्री वी.सी. ओट्टलवार एवं श्री राजीव श्रीवास्तव, अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता।

श्री सुधीर बाजपेयी, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

<u>दांडिक अपील क्रमांक 861/2007; 862/2007; 864/2007; 865/2007; 866/2007; 867/2007 एवं 868/2007</u>

<u>निर्णय (10.08.2009</u>

निम्नलिखित निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा ने दिया :

(1) ये अपीलें दिनांक 8 अगस्त, 2007 को सत्र प्रकरण क्रमांक 43/2006 में माननीय सत्र न्यायाधीश, कांकेर, उत्तर बस्तर (छ.ग.) द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके अंतर्गत अपीलार्थियों को दोषसिद्ध कर निम्नानुसार दंडित किया गया है तथा यह भी निर्देशित किया गया है कि सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोषसिद्धि	दंड
धारा 148 भा.दं.सं.	2 वर्ष का कठोर कारावास
धारा 427 भा.दं.सं.	2 वर्ष का कठोर कारावास
धारा 436 सहपठित धारा 149 भा.दं.सं.	10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,000 रुपये का अर्थदंड; अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त 3 माह का कठोर कारावास

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं :

शिकायतकर्ता अलख निरंजन (अभियोजन साक्षी-7) गाँव बेबारटी के पुषवाड़ा चौक में प्रकाशलाल सेन (अभियोजन साक्षी -10) के किराए के मकान में सिलाई की दुकान चलाता था। उसकी दुकान प्रकाशलाल सेन की दुकान से सटी हुई थी। अपीलार्थी बृजवती और देव प्रसाद निषाद ने प्रकाशलाल सेन

(अभियोजन साक्षी -10) के मकान के सामने स्थित शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया था। यह अतिक्रमण प्रकाशलाल सेन के कहने पर हटा दिया गया। आरोप है कि दिनांक 2.12.2005 को रात्रि लगभग 8–8.30 बजे, अपीलार्थी घातक हथियारों से लैस होकर दांडिक अपील क्रमांक 861/2007; 862/2007; 864/2007; 865/2007; 866/2007; 867/2007 एवं 868/2007 अपीलार्थियों ने घातक हथियारों से लैस होकर अवैध जमावड़ा किया, दंगा-फसाद में भाग लिया और तत्पश्चात उस जमावड़े के साझा उद्देश्य की पूर्ति करते हुए शिकायतकर्ता की सिलाई की दुकान में आग लगा दी। शिकायतकर्ता अलख निरंजन (अभियोजन साक्षी 7) ने थाना कांकेर में लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/7) दर्ज कराई, जिसके आधार पर नियमित प्रथम सूचना रिपोर्ट (**एफ.आई.आर.**) प्रदर्श-पी/12 के तहत दर्ज की गई। जांच के दौरान दुकान से कुछ जले हुए सामान जब्त किए गए, जिनके संबंध में प्रदर्श-पी/1, पी/2 और पी/3 तैयार किए गए। 50,000/- रुपये की क्षति दर्शाने वाला पंचनामा भी प्रदर्श-पी/4 के तहत तैयार किया गया। स्थल नक्शा प्रदर्श-पी/8 के अंतर्गत बनाया गया। एक अन्य स्थल नक्शा प्रदर्श-पी/13 के तहत तैयार किया गया। अपीलार्थियों को अभिरक्षा में लिया गया और उनकी अनुच्छेद 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत मेमोरेंडम कथन (प्रदर्श-पी/16, पी/18, पी/20, पी/23, पी/25, पी/27, पी/29, पी/52, पी/54 एवं पी/56) दर्ज किए गए। अपीलार्थियों के कथन के आधार पर कुछ वस्तुओं को जब्त भी किया गया, जिनके संबंध में प्रदर्श-पी/17, पी/19, पी/22, पी/24, पी/26, पी/28, पी/30, पी/53, पी/55 एवं पी/57 तैयार किए गए (ये जब्ती एवं बरामदगी अपराध क्रमांक 389/2005 में सामान्य रूप से की गई थीं, जिसके लिए अलग आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सामान्य जांच पूरी होने के बाद आरोप-पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कांकेर की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायाधीश, कांकेर की नयायालय में विचारण हेतु भेजा। वहां सुनवाई के बाद आरोपियों/अपीलार्थियों को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया गया।

(3) अपीलार्थियों की दोषसिद्धि 6 प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की गवाही पर आधारित है, जिनके नाम इस प्रकार हैं—

रामचंद्र नायक (अभियोजन साक्षी.-3), राकेश नायक (अभियोजन साक्षी -4), बुधियार (अभियोजन साक्षी-6), प्रकाशलाल सेन (अभियोजन साक्षी 10), उषा सेन (अभियोजन साक्षी.-11) एवं गीता बाई (अभियोजन साक्षी 13)।

<u>दंडिक अपील क्रमांक 861/2007; 862/2007; 864/2007; 865/2007; 866/2007; 867/2007 एवं 868/2007</u>

(4) अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री वी.सी. ओट्टलवार एवं श्री राजीव श्रीवास्तव ने यह तर्क दिया कि अपीलार्थियों को उपर्युक्त अपराध से जोड़ने हेतु अभिलेखों पर कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि उन्होंने दंगे में भाग लिया अथवा शिकायतकर्ता की दुकान में आग लगाई। ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रकाशलाल सेन की दुकान में आग लगाई गई, तो दुर्घटनावश वह आग फैल गई और पास में स्थित शिकायतकर्ता अलख निरंजन की दुकान भी उसकी चपेट में आ गई।

(5) इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित माननीय उप शासकीय अधिवक्ता श्री सुधीर बाजपेयी ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का समर्थन किया।

(6) हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को विस्तार से सुना तथा सत्र न्यायालय के प्रकरण अभिलेख का अवलोकन किया।

(7) अभिलेखों पर उपलब्ध साक्ष्यों की सराहना हेतु हम सबसे पहले शिकायतकर्ता अलख निरंजन (अभियोजन साक्षी -7) द्वारा दर्ज की गई लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/7) को उद्धृत करना चाहेंगे :

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"प्रति,

थाना प्रभारी,

पुलिस थाना – कांकेर, जिला – कांकेर (छ.ग.)

विषय : आगजनी किये जाने के संबंध में आवेदन पत्र।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं अलख निरंजन साहू, पिता श्री रामेश्वर साहू, ग्राम दशपुर, तहसील एवं जिला – कांकेर (छ.ग.) का निवासी हूँ।

मैं ग्राम बेबरती में चौक पर स्थित प्रकाश सेन के मकान में स्थित दुकान को किराये से लेकर टेलर्स का कार्य करता था, उसी मकान में एक दुकान पर स्वयं मकान मालिक का दुकान अलग से है जिनका विवाद ग्राम पटौद की ही निवासी श्रीमति बृजवती निषाद एवं

उसके परिवार के साथ चल रहा था, दिनांक 2/12/2005 को रात्रि करीब 8.30 बजे मकान मालिक प्रकाश सेन के घर में तथा दुकानों में सटर तोड़कर आग लगा दी गई है उसमें मेरा किराये से लिया गया दुकान भी पूरी तरह जल कर राख हो गया है। मेरे उक्त दुकान में सिलाई मशीन 4 नग, पीकू मशीन-1 नग, ग्राहकों का सिलाई किया गया कपड़ा लगभग 35 जोडी, पेंट सर्ट तथा ब्लाउज 20 नग एवं दुकन में रखा मेरे स्वयं के कपड़े 5 जोड़ी तथा 10,000/- रू. नगद सूटकेश में रखा हुआ था, तथा टेप (डेक) बाक्स सहित एवं कैसेट 50 नग तथा लकड़ी के फर्नीचर आलमारी, कुर्सी तथा टेलर्स कार्य में प्रयुक्त होने वाले सारा सामान जल कर राख हो गया है।

इस प्रकार इनके इस कृत्य से मुझे अपूर्णनीय क्षति लगभग 50,000/- रू. (पचास हजार रू.) की आर्थिक क्षति पहुंची है। मेरा एक मात्र व्यवसाय टेलर्स कार्य था, जिससे ही मैं

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कार्य कर अपना एवं परिवार का पालन पोषण करता था। मेरे दुकान को बृजवती निषाद एवं उसके परिवार तथा उसके भाईयों देवप्रसाद, देवचंद निषाद, बृजलाल, सूरज निषाद, संतोष, विजय, मनोज, जागेश्वर, शंकर निषाद, कुल 15-16 व्यक्ति एवं अन्य लोगों द्वारा आग लगा कर मेरे दुकान के सामानों को क्षति पहुंचाई गई है। मैं बिल्कुल असहाय एवं अपंग सा हो गया हूँ। मुझे रोजी-रोटी की समस्या हो गई है। मेरे छोटे-छोटे बच्चे है, जिनको पालन करना दूभर हो जावेगा ।

अतः मान्यवर माहेदय से निवेदन है कि ग्राम बेबरत में प्रकाश सेन के मकान में स्थित मेरे दुकान में रखे सामानों तथा अन्य नुकसान हुये कपड़ो की नुकसानी रूपये 50,000/- (पचास हजार) आरोपियों से तथा शासन से सहायता दिलाई जावे। एवं दोषी व्यक्तियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही किया जावे। मेरे दुकान के साथ में और भी दुकानों में आग लगाई गई है, घटना को ग्राम बेबरती के निवासी प्रकाश सेन, उनकी पत्नि उषा सेन, बुधियार कलार तथा श्रीमति गीता बाई, रामचन्द, लक्ष्मी नारायण तथा आसपास के लोगों ने घटना को देखा है। जांच किया जावे तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुये मुझे न्याय प्रदान करने की कृपा करें ।

अतः पुनः निवेदन है कि न्याय हित में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही किया जावे तथा क्षतिपूर्ति राशि रूपये 50,000/- (पचास हजार रू.) दिलाई जावे ।

दिनांक 03/12/2005

स्थान-कांकेर

साक्षीगणः-

01. रामचन्द

02 लक्ष्मी नारायण

आवेदक/प्रार्थी

(अलख निरंजन साहू)

पिता- श्री रामेश्वर साहू निवासी-ग्राम-दशपुर, पो. बेबरती, तह. कांकेर, जिला-कांकेर, (छ०ग०)"

(8) उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि उन्हें यह नहीं पता कि दुकान में आग किसने लगाई। उनका अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा प्रति-प्ररिक्षण किया गया, लेकिन कोई महत्वपूर्ण तथ्य अभिलेख पर नहीं लाया जा सका। बचाव पक्ष द्वारा की गई प्रति-प्ररिक्षण में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि किसी भी पड़ोसी ने उन्हें यह नहीं बताया कि दुकान में आग किसने लगाई। वास्तव में, जब वह अस्पताल गए थे, तो प्रकाशलाल सेन (अभियोजन साक्षी -10) और उनके पुत्र ने कागज़ पर लिखकर नाम दिए थे। लिखित रिपोर्ट टाइप की हुई है। उस लिखित रिपोर्ट का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उसमें कई जगह **कार छोटे** हैं और अपीलार्थी बृजलाल, सूरज निषाद, संतोष, विजय, मनोज, जगेश्वर, शंकर निषाद के नाम तथा “कुल 15-16 व्यक्ति” जैसे शब्द हस्तलिखित रूप में जोड़े गए हैं। जब इस गवाह को इन इंटरपोलेशन एवं अन्य कई स्थानों (ए और ए, सी और सी, डी और डी, ई और ई, एफ और एफ, जी और जी, एच और एच और आई और आई) में किए गए हस्तलिखित जोड़ की व्याख्या हेतु कहा गया, तो वह इसे समझा नहीं सका और कहा कि यह सब किसने लिखा, वह नहीं कह सकता, परंतु उसने स्वयं ये हिस्से नहीं लिखे यह दर्शाता है कि वास्तव में एक तरह की हुई रिपोर्ट तैयार की गई और बाद में अनेक अपीलार्थियों के नाम किसी अन्य व्यक्ति (जो शिकायतकर्ता नहीं था) द्वारा हस्तलिखित रूप में जोड़े गए। यह रिपोर्ट वास्तव में प्रकाशलाल सेन एवं उसके पुत्र के कहने पर दर्ज कराई गई थी।

(9) रामचंद्र नायक (अभियोजन साक्षी -3) बुधियार के ससुर हैं। उन्होंने बयान दिया कि घटना की रात अपीलार्थी पेट्रोल, केरोसिन, चाकू आदि लेकर आए और उन्होंने घर में आग लगा दी। इसके बाद एक अनुसूचित जनजाति के लड़के को जलती हुई आग में फेंक दिया गया (जारी) अपीलार्थी देव प्रसाद द्वारा। जिरह में, पैरा-7 में उन्होंने स्वीकार किया कि जब अपीलार्थियों ने उन पर हमला किया, तो उनके दामाद बुधियार उन्हें घर के अंदर ले गए और शटर बंद कर दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसके बाद वे पूरे घटनाक्रम के समाप्त होने तक घर के भीतर ही रहे और घटना के बाद जब पुलिस दल वहाँ आया, तभी वे बाहर निकले। उन्होंने आगे जोड़ा कि सबसे पहले जलाने की घटना हुई और उसके बाद मारपीट की गई।

पैरा-9 में जिरह के दौरान उन्हें उनके पुलिस केस डायरी के कथन (प्रदर्श-डी/1) से सामना कराया गया, जिसमें यह तथ्य अनुपस्थित थे कि अपीलार्थी केरोसिन और पेट्रोल

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

लेकर आए थे और वे हथियारों से भी लैस थे। इस पर उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस को यह सब बताया था, यदि यह उनके केस डायरी के कथन में दर्ज नहीं है तो वह कारण नहीं बता सकते। उनसे यह कथन भी पूछताछ में सामने रखा गया कि देव प्रसाद ने एक लड़के को जलती हुई आग में फेंका था, लेकिन यह तथ्य भी केस डायरी के कथन में अनुपस्थित था, जबकि उनका कहना था कि उन्होंने पुलिस को यह बताया था। इसके अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण चूकें और विरोधाभास पाए गए। ये चूकें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो मामले की जड़ तक जाती हैं। उपरोक्त चूकें और विरोधाभास यह दर्शाते हैं कि यह गवाह विश्वसनीय नहीं है और वह पेट्रोल एवं केरोसिन की थ्योरी जोड़कर न्यायालय के सामने एक नया मामला प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। अतः हम इस गवाह की गवाही पर विश्वास नहीं करते।

(10) राकेश नायक (पी.डब्ल्यू.-4) गीता बाई का पुत्र है। उसने अपनी माँ पर किए गए हमले के बारे में बयान दिया। उसे भी उसके पुलिस केस डायरी के कथन (प्रदर्श-पी/2) से सामना कराया गया। उसने यह बयान दिया कि उसने पुलिस को बताया था कि राकेश नायक (अभियोजन साक्षी-4) ने कहा कि उसने पुलिस को बताया था कि अपीलार्थी पेट्रोल और केरोसिन लेकर आए थे। यदि ये बातें उसकी पुलिस केस डायरी के कथन में दर्ज नहीं हैं तो इसके कारण वह नहीं बता सकता। उससे यह भी पूछा गया कि अपीलार्थी कौन-कौन से हथियार लेकर आए थे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिरह में उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि जब आगजनी की घटना हुई, उस समय वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) बुधियार (अभियोजन साक्षी-6) को भी उक्त दुकान में आग लगाने की घटना के प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में पेश किया गया। सामान्य बातें बयान करने के बाद (शायद अपनी दुकान एवं प्रकाशलाल सेन की दुकान की घटना के संबंध में, जो कि वर्तमान मुकदमे का विषय नहीं हैं) उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि जब आगजनी की घटना हुई, उस समय वह घर के भीतर था और उसने अंदर से शटर बंद कर रखा था। उसने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि वह यह नहीं देख पाया कि प्रकाशलाल सेन और अलख निरंजन की दुकानों में आग कैसे लगी।

(12) प्रकाशलाल सेन (अभियोजन साक्षी-10) उस दुकान का मकान-मालिक है। उसने बयान दिया कि घटना वाले दिन रात लगभग 8.30 बजे अपीलार्थी उसके घर आए और उसकी पत्नी पर हमला किया। वह अपनी पत्नी को घर के भीतर ले गया और दरवाजे बंद कर दिए। इसके बाद वह छत पर गया और देखा कि अपीलार्थी बुधियार जैन की दुकान के सामने मौजूद थे। बृजवती की बेटी हेमलता एक कंटेनर लिए हुए थी। बृजवती बुधियार जैन की दुकान में आग लगा रही थी और अन्य अपीलार्थी “होली है” जैसे नारे लगा रहे थे। इसके बाद वे उसके घर की ओर बढ़े। तब वह छत से नीचे आ गया और प्रकाशलाल सेन ने आगे कहा कि यह सब देखकर वह छत से नीचे उतर आया और घर के अंदर चला गया। इसके बाद अपीलार्थियों ने उसकी दुकान का ताला तोड़ा, दुकान में केरोसिन

डाला और माचिस की तीली से आग लगा दी। यह सब पूर्वनियोजित था। वे "होली है" जैसे नारे लगा रहे थे। उसने और उसकी पत्नी ने अपने घर के अंदर से उस दरवाज़े से यह सब देखा जो उसकी दुकान की ओर खुलता है। अपीलार्थियों ने शिकायतकर्ता अलख निरंजन (जो इस मामले का विषय है) की दुकान में भी आग लगा दी। जिरह में उससे उसके पुलिस केस डायरी के कथन (प्रदर्श-डी/3) का सामना कराया गया, जिसमें केरोसिन और माचिस लाने संबंधी बातें दर्ज नहीं थीं। यह तथ्य भी अनुपस्थित था कि उसने अपने घर के अंदर वाले दरवाज़े से अपीलार्थियों को दुकान में आग लगाते हुए देखा। इसके अतिरिक्त, बृजवती की बेटी द्वारा कंटेनर पकड़ने और अपीलार्थियों द्वारा "होली है" चिल्लाने संबंधी बातें भी केस डायरी के कथन में दर्ज नहीं थीं। जब यह सब उससे पूछा गया, तो उसने कहा कि उसने यह सब पुलिस को बताया था और यदि यह उसकी केस डायरी में दर्ज नहीं है, तो उसके कारण वह नहीं बता सकता। हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि प्रति-प्ररिक्षण के पैरा-13 में उसने बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि यह सच है कि घटना के समय वह घर के भीतर था और यह भी सच है कि वह नहीं देख पाया कि दुकान में आग किसने लगाई। और यह भी कि पुलिस पार्टी के आने तक वह पूरे समय घर के अंदर ही रहा। उपरोक्त गवाही (अभियोजन साक्षी-10) से यह स्पष्ट है कि उसने वास्तव में यह नहीं देखा कि दुकान में आग किसने लगाई। उसकी गवाही में किए गए बढ़ा-चढ़ाकर दिए गए कथन ऐसे हैं, जो ऐसी शंकाएँ उत्पन्न करती हैं कि यह गवाह विश्वसनीय नहीं है और हम उसकी गवाही स्वीकार नहीं करते।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(13) उषा सेन (अभियोजन साक्षी -11) प्रकाशलाल सेन की पत्नी है। उसने भी लगभग उसी प्रकार का बयान दिया। उसे भी उसकी पुलिस केस डायरी के कथन (प्रदर्श-डी/4) से सामना कराया गया। अपीलार्थियों द्वारा पेट्रोल और केरोसिन लाने संबंधी तथ्य उसमें भी नहीं थे। उसने यह भी स्वीकार किया कि यह सच है कि जब आगजनी की घटना हुई, वह घर के अंदर थी और पुलिस दल के आने तक वह घर के भीतर ही रही। यह गवाह पूरे समय अपने पति प्रकाशलाल सेन के साथ रही, जिनके बारे में पहले ही यह स्पष्ट हो चुका है कि वे घर के भीतर थे और यह नहीं देख पाए कि दुकान में आग किसने लगाई। अतः अभियोजन साक्षी -11 उषा सेन की गवाही का निष्कर्ष यही है कि उसने भी यह नहीं देखा कि दुकान में आग किसने लगाई।

(14) गीता बाई (अभियोजन साक्षी.-13) ने भी स्वयं को प्रत्यक्षदर्शी गवाह बताया। उसने उस मारपीट की घटना के बारे में बयान दिया जो सत्र प्रकरण क्रमांक 155/2006 का विषय थी। उसने कहा कि जब उसने गाँव सतलोर से पुलिस को टेलीफोन पर संदेश दिया और पुलिस के साथ वापस गाँव बेबारटी अपने घर आई, तो उसने देखा कि उसके अपने घर के साथ-साथ उषा बाई का घर भी जल गया था। शिकायतकर्ता की दुकान में अपीलार्थियों अथवा उनमें से किसी द्वारा आग लगाने संबंधी उसकी गवाही में उसकी केस डायरी (प्रदर्श-डी/5) में महत्वपूर्ण चूकों के कारण संदेह उत्पन्न होता है और हम उसकी इस गवाही पर भरोसा नहीं करते।

(15) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों के मूल्यांकन पर यह सिद्ध नहीं हुआ कि शिकायतकर्ता आलख निरंजन की दुकान के सामने दंगा हुआ था। यह भी सिद्ध नहीं हुआ कि शिकायतकर्ता आलख निरंजन की दुकान में किसने आग लगाई या अपीलार्थियों अथवा उनमें से किसी ने शिकायतकर्ता की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से कोई शरारत की। ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रकाश सेन की दुकान में आग लगाई गई, तो संयोगवश उसके पास स्थित शिकायतकर्ता की दुकान भी आग की चपेट में आ गई और इस अवसर का लाभ उठाकर प्रकाशलाल सेन एवं उसके पुत्र के कहने पर एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें प्रारंभ में केवल तीन अपीलार्थियों — देव प्रसाद, देवचंद निषाद और बृजवती — के नाम टाइप में लिखे गए थे और बाद में हस्तलिपि से कई अन्य नाम जोड़ दिए गए।

(16) उपर्युक्त कारणों से, अपीलार्थियों को जिन भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत दोषसिद्धि एवं दंड दिए गए थे, वे स्थिर रखने योग्य नहीं हैं।

(17) परिणामस्वरूप, अपीलार्थियों द्वारा दायर की गई अपीलें स्वीकार की जाती हैं। उन पर लगाए गए आरोपों से उन्हें दोषमुक्त किया जाता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(18) यह कहा गया है कि अपीलकर्ता देवचंद निषाद एवं जगेश्वर @ जागे निषाद क्रमशः 6.12.2005 एवं 23.12.2005 से जेल में हैं और अन्य अपीलकर्ता देव प्रसाद निषाद, रंजीत निषाद, शंकर निषाद एवं बृजवती 3.12.2005 से जेल में हैं। उन्हें यदि किसी अन्य मामले में वांछित न हों तो तत्काल रिहा किया जाए। अपीलकर्ता बृजलाल निषाद, मनोज कुमार, सुरजलाल एवं देवलाल जमानत पर हैं। उनके बंध- उन्मोचित किए जा रहे है।

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Adv. ISHAN SHARMA

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur